Title : Need to exempt marble industry from excise duty in Rajasthan - Laid.

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मार्बल इकाइयों द्वारा डोलोमाइट व सरपन्टाइन खनिज की चिराई की जाती है। डोलोमाइट व सरपन्टाइन खनिज मार्बल से काफी सस्ता होता है। मार्बल सिर्फ मकराना में निकलता है बाकी अन्य स्थानों पर डालोमाइट व सरपन्टाइन खनिज की चिराई करके भ वन निर्माण के काम में लिया जाता है। डालोमाइट व सरपन्टाइन की चिराई करने वाली ईकाइयों पर केन्द्र सरकार द्वारा भारी उत्पाद शुल्क लगा दिये जाने से इन उद्योगों की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है जबकि इसी तरह के अन्य ग्रेनाइट आदि खनिजों को उत्पाद शुल्क से छूट या मुक्ति मिली हुई है। उत्पाद शुल्क के अला वा इनसे रॉयल्टी व बिक्रीकर भी वसूल किया जाता है, जिससे उनका उत्पादन काफी महंगा हो जाता है। अधिकांश ईकाइयों द्वारा खदानों से प्राप्त लफर व ब्लॉक्स की चिराई की जाती है जो कि प्रोसेसिंग के अन्तर्गत आता है। अधिकांश ईकाइयां लघु उद्योग के अन्तर्गत आती हैं और लघु उद्योग को उत्पाद शुल्क से मुक्ति मिली हुई है, लेकिन राजस्थान के इस एक मात्र सहारा मार्बल उद्योग पर उत्पाद शुल्क लगा हुआ है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के लाखों लोगों की जीविका प्रदान करने वाले मार्बल उद्योग इकाइयों को उत्पाद शुल्क से अविलम्ब मुक्ति प्रदान की जाए।